19.05.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। प्रार्थीया स्वंय भी उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः प्रार्थीया का यह प्र०पत्र अदम पैरवी- अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर खात्मिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किरण पाल)
RAS.